

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश ::

क्रमांक:- 66/अ-59/2017-18/ 5565

बैतूल दिनांक 4/5/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 31 रा. नि. मं. घोड़ाडोंगरी तहसील घोड़ाडोंगरी द्वारा तहसीलदार घोड़ाडोंगरी के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम मेंढापानी तहसील घोड़ाडोंगरी स्थित खसरा नंबर 60 रकबा 0.267 में से 0.010 हेक्टेयर भूमि पर श्री रमेश पिता श्यामराव मराठा मकान बनाकर निवासरत् है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि का मद परिवर्तन किए जाने हेतु ठहराव प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रश्नाधीन खसरा नंबर में से 0.010 हेक्टेयर भूमि का मद परिवर्तन किए जाने में किसी प्रकार से रास्ता अवरूद्ध नहीं होगा।

2- हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार घोड़ाडोंगरी द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) शाहपुर के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-


(1)- मौजा मेंढापानी तहसील घोड़ाडोंगरी स्थित खसरा नंबर 60 रकबा 0.267 हेक्टेयर मद रास्ता में से 0.010 हेक्टेयर को आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- दिनांक 26-1-2018 को ग्राम मेंढापानी में आयोजित ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव क्रमांक-01 पारित किया जाकर मौजा मेंढापानी तहसील घोड़ाडोंगरी स्थित खसरा नंबर 60 रकबा 0.267 हेक्टेयर मद रास्ता की भूमि में से 0.010 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

(3)- राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा मेंढापानी तहसील घोड़ाडोंगरी स्थित खसरा नंबर 60 रकबा 0.267 हेक्टेयर भूमि रास्ता मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1968-69 में भी उक्त खसरा नंबर रास्ता मद में दर्ज है।

(4)- तहसीलदार घोड़ाडोंगरी द्वारा, प्रतिवेदित किया गया है कि, उक्त रास्ता मद की भूमि में से 0.010 हेक्टेयर भूमि का मद परिवर्तन किया जाता है तो किसी प्रकार का रास्ता अवरूद्ध नहीं होगा। उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर तहसीलदार घोड़ाडोंगरी द्वारा मौजा मेंढापानी तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 60 रकबा 0.267 हेक्टेयर में से 0.010 हेक्टेयर को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है। तहसीलदार घोड़ाडोंगरी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुविभागीय अधिकारी (रा.) शाहपुर द्वारा प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की 237 की उपधारा- (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को लोक प्रयोजनो तथा अन्य प्रयोजनो के लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाएं पृथक् रख सकता है। धारा 243 (1) के अनुसार जहाँ आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र, कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, वहाँ ग्राम की दखलरहित भूमि में से ऐसा और क्षेत्र आरक्षित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा



समसंख्यक आदेश क्रमांक:- 2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, तहसीलदार घोड़ाडोंगरी/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा मेंढापानी तहसील घोड़ाडोंगरी स्थित खसरा नंबर 60 रकबा 0.267 हेक्टेयर भूमि मद रास्ता में से 0.010 हेक्टेयर भूमि (जिसे नक्शे में लाल स्याही से चिह्नित किया गया है) को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।



(मूलचन्द्र वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पू0क्र0:- 66/अ-59/2017-18/
प्रतिलिपि:-

5565

बैतूल दिनांक 4/5/2018

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार घोड़ाडोंगरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
- 3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
- 4- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 5- सचिव ग्राम पंचायत मेंढापानी जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.